छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 6–14/2015/20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 10/08/2017

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ

विषय :– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अपेक्षानुसार शालाओं में कार्यरत शिक्षकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण।

संदर्भ :– अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 17-2/2017-EE.17. दिनांक 03.08.2017

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत शालाओं (शासकीय एवं निजी) में अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करने हेतु अतिम तिथि में संशोधन कर दिनाक 31.03.2019 की समय–सीमा नियत की गयी है। पत्र की प्रति संलग्न है।

पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ऐसे समस्त शिक्षक, जो अधिनियम लागू होने की तिथि में अनिवार्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं करते थे तथा जो दिनांक 31.03.2015 तक ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए, को अब दिनांक 31.03.2019 तक NIOS द्वारा संचालित द्विवर्षीय Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) योग्यता प्राप्त करनी होगी। NIOS द्वारा उक्त पाठ्यकम ऑनलाईन पद्धति से संचालित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त NCTE द्वारा अनिवार्य योग्यता के संबंध में प्रावधान अनुसार द्विवर्षीय D.El.Ed. योग्यताधारी शिक्षकों को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक, जिनका हायर सेकेण्डरी में प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम है, को उक्त पाठ्यकम में प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा तथा ऐसे शिक्षकों को राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में भाग लेकर उक्त अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करनी होगी। अभ्यर्थियों को नियत समय–सीमा तक NIOS पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने हेतु शेष शिक्षकों को, यदि वे पूर्व से किसी पाठ्यकम में पंजीकृत न हो, NIOS के पोर्टल के माध्यम से ही उक्त योग्यता प्राप्त करनी होगी। अर्थात् इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा कोई समानांतर कोर्स संचालित नहीं किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

भारत सरकार की अपेक्षानुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

1. विभाग द्वारा पत्र कमांक एफ 13–08/2013/20–तीन, दिनांक 04.08.2017 एवं दिनांक 09.08.2017 के द्वारा शिक्षकों की जानकारी के सत्यापन के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अंतर्गत प्रपत्र–2 (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी) के सत्यापन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से दिनांक 20.08.2017 तक संपन्न कर योग्यताओं की प्रविष्टि एजुपोर्टल पर करना सुनिश्चित किया जाए व अप्रशिक्षित शिक्षकों का डाटाबेस राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को उपलब्ध कराया जाए।
2. राज्य में NIOS पोर्टल पर शिक्षकों को पंजीयन तथा NIOS के पाठ्यकम में निर्धारित मापदंड/गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को नोडल एजेंसी तथा संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य स्तरीय समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा आवेदन संबंधित शाला प्रमुख के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था होगी, अतः NIOS पोर्टल पर समस्त शालाओं का पंजीयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2017 तक सुनिश्चित किया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि समस्त निजी विद्यालयों का भी पंजीयन किया जाना है।
4. NIOS पोर्टल पर दिनांक 16.08.2017 से 15.09.2017 की अवधि में अप्रशिक्षित शिक्षकों के D.El.Ed. कोर्स हेतु पंजीयन किया जाना है। सभी संबंधित शिक्षकों व शाला प्रमुखों, अर्थात् प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रधान पाठक/प्रभारी प्रधान पाठक का दायित्व होगा कि वे उनकी शाला में कार्यरत शिक्षकों का पंजीयन अंतिम तिथि से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
5. निजी स्कूलों के मामले में पाठ्यकम हेतु शिक्षकों के पंजीयन का दायित्व संबंधित संस्था के प्राचार्य/प्रधान पाठक का होगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी निजी संस्थाओं को तत्काल अवगत कराया जाए।
6. चूंकि D.El.Ed. पाठ्यकम इस प्रकार तैयार किया गया है कि दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 से पाठ्यकम प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2019 तक संपन्न होगा। अतः शिक्षकों के पास अनिवार्य योग्यता हासिल करने हेतु पंजीयन कराने का यह प्रथम एवं अंतिम अवसर होगा। 15 सितम्बर, 2017 की स्थिति में ऐसे शिक्षक, जो अनिवार्य योग्यता धारित नहीं करते हैं तथा जो पाठ्यकम हेतु पंजीयन भी नहीं कराते हैं, के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
7. शासकीय शालाओं के संबंध में यह कार्यवाही संबंधित नियोक्ता विभाग/संस्था करेगी तथा निजी स्कूलों के मामले में ऐसी कार्यवाही करने के निर्देश जिला

Scanned by CamScanner

शिक्षा अधिकारी समस्त निजी विद्यालयों को जारी करेंगे। साथ ही यह भी अवगत कराएंगे कि निजी शालाओं में इस प्रकार के कार्यरत एवं अप्रशिक्षित शिक्षको को संबंधित संस्था की मान्यता के लिए उपलब्ध शिक्षकों की गणना में नही लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक सत्र 2018–19 में निजी विद्यालयों की मान्यता निरंतर रखे जाने के संबंध में इन निर्देशों के प्रकाश में समीक्षा कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इन प्रावधानों से निजी विद्यालयों को स्पष्टतः अवगत भी कराएंगे।

5. शिक्षकों की जानकारी एजुपोर्टल पर सत्यापन से उद्भूत जानकारियां तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के पंजीयन के संबंध में जानकारियां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संधारित की जाएगी एवं प्रगति से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य शासन को समय–समय पर अवगत कराया जाएगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

10/8/17

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 6–14/2015/20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 10/08/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर

को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10/8/17

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner